तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
16.12.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस प्रा.पत्र अ.धा. 136 L.R.A पर पूर्व मे सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा.पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा कादून्दा प.ह. कादून्दा की खाता सं. 875 की आ.सं. 159, व खाता सं. 876, 877, 878 मे प्रार्थीया आशा बाई के पुत्र शिवलाल उर्फ सुनिल पिता छगनलाल ना.बा. का नामान्तरण खोलते समय लिपिकीय त्रुटी से बोलता नाम सुनिल लिख दिया गया जबकि प्रार्थीया के पुत्र का रिकॉर्ड शिवलाल है। अत: प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर सुनिल के बजाय सुनिल उर्फ शिवलाल पिता छगनलाल कुम्हार" दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर पैरोकार तहसीलदार बेगू ने अपनी जवाबी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रार्थीया के पुत्र शिवलाल का बोलता नाम लिपिकीय त्रुटी से सुनिल लिख दिया है। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुने जाने के पश्चात प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेज नकल आधार कार्ड, ई-श्रम कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड की छाया प्रति मे शिवलाल पिता छगनलाल दर्ज अंकित है। एवं पैरोकार तहसीलदार ने अपने जवाब प्रा.पत्र मे शिवलाल का बोलता नाम सुनिल लिपिकीय त्रुटी होना स्वीकार किया है।
	अत: प्रार्थीया का प्रा.पत्र अ.धा. 136 L.R.A का स्वीकार किया जाता है। मौजा कादून्दा प.ह. कादून्दा के खाता सं. 875, 876, 877, 878 के राजस्व रिकार्ड मे सुनिल पिता छगनलाल के स्थान पर सुनिल उर्फ शिवलाल पिता छगनलाल कुम्हार किये जाने के आदेश दिया जाता है। आदेश कि प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।